क्रम-संख्या--261

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 16 नवम्बर, 2006

कार्तिक 25, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1395/79-वि0-1-01(क)38 -2006

लखनऊ, 16 नवम्बर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 15 नवम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 17 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 17 में,—खण्ड (3-क) में शब्द "दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से" के स्थान पर शब्द और अंक "व्यापार कर की अदत्त धनराशि के लिये उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 में विहित दर से" रख दिये जाएंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 17 के खण्ड (3-क) में दो प्रतिशत प्रति मास की दर से मण्डी शुल्क की अदत्त धनराशि पर ब्याज वसूल करने की व्यवस्था है। अदत्त धनराशि पर ब्याज की दर में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि व्यापार कर की अदत्त धनराशि के लिये उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 में विहित दर से मण्डी शुल्क की अदत्त धनराशि पर ब्याज वसूल करने की व्यवस्था के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1395/LXXIX-V-1-01(ka) 38-2006

Dated Lucknow November 16, 2006

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 34 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 15, 2006.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (DWITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2006

(U.P. ACT NO. 34 OF 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2006.

Amendment of section 17 of U.P. Act no. 25 of 1964.

2. In section 17 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964, in clause (iii-a), *for* the words "at the rate of two percent per mensem" the words and figures "at the rate prescribed in the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 for the unpaid amount of Trade tax" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

Clause (iii-a) of section 17 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) provides for the realisation of interest on the unpaid amount of Market fee at the rate of two percent per mensem. With a view to maintaining uniformity in the rate of interest on the unpaid amount it has been decided to amend the said Act to provide for realising the interest on unpaid amount of market fee at the rate as prescribed in the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 for the unpaid amount of trade tax.

The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Dwitiya Sanshodhan) Vidheyak, 2006 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० [illegible] राजपत्र (हिन्दी)-2006-(6546)-2006-547 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट).

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 187 सा० विधायी-17-11-06-(6547)-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।